संख्या- 16/1314 /22-4-14-48(14)/11

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 21 अक्टूबर,2014

विषय- जिला कारागार, बिजनौर की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण के पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-15413/नम-2, दिनांक- 1 जून, 2014 के सन्दर्भ तथा शासनादेश संख्या-64/22-4-12-48(2)/11, दिनांक 19-01-12 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बिजनौर की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु कुल धनराशि रू0 3,33,17,000/-(रूपया तीन करोड तैंतिस लाख सत्रह हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन रू0 4,17,32,000/- को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभा द्वारा रू0 4,12,25,000/- मूल्यांकित किया गया है।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, बिजनौर की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु रू0 4,12,25,000/-(रूपया चार करोड बारह लाख पच्चीस हजार मात्र) प्रशासनिक/ वित्तीय अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

(1) प्रायोजना का निर्माण कार्य दिनांक 31-03-2015 तक किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) निर्माण की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार एवं योगफल में वृद्वि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(3) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ् करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त- पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

3- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन से सम्बन्धित मूल्यांकन टिप्पणी संलग्न है।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य -051-निर्माण-03- कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/ मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1595/दस-2014, दिनांक-20-10-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 16/1314(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक,, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, बिजनौर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञां से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in